Schedule XLII-High Court No.(J) 9[Old(M)164]

FORM OF ORDER SHEET

IN THE COURT OF THE DIVISIONAL COMMISSIONER, PURNEA.

Supply Revision No.- 214 /2022

Surendra Prasad Mandal.....Petitioner

Versus

The State of Bihar & Ors .....Opposite Parties

Serial No.	Date of order of proceeding.	Order with signature of the court.	Office action taken with date
1	2	3	4
	02-5-2024	**—:आदेश:—** प्रस्तुत आपूर्ति पुनरीक्षण वाद न्यायालय समाहर्त्ता, अररिया द्वारा आपूर्ति अपील सं0— 9/2020 में दिनांक— 05.08.2022 को पारित आदेश के विरूद्ध दायर किया गया है। विलंबक्षांत हेतु पृथक आवेदन दाखिल है। उभय पक्षों को सुना। आवेदक के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि आवेदक पी0डी0एस0 अनुज्ञप्ति सं0— 67F/2016 के वैध धारक थे और अपने कर्त्तव्यों का निश्ठापूर्वक निर्वहन कर रहे थे। दिनांक— 01.02.2020 को अनुमंडल पदाधिकारी, फारबिसगंज द्वारा ग्रामीणों की उपस्थिति में उक्त दुकान के निरीक्षण में पाई गई कई अनियमितताएँ के आलोक में ज्ञापांक— 26/A दिनांक— 04.02.2020 द्वारा कारण—पृच्छा की मॉग की गई। आवेदक के विरूद्ध खाद्यान्न एवं किरासन तेल का वितरण अधिक मूल्य पर किया जाना, लाभार्थियों को केशमेमो की प्रति नहीं देना, दुकान बंद पाया जाना, आवेदक से संपर्क बनाये जाने पर उनके द्वारा बैंक में होने की बात आदि आरोप प्रतिवेदित है। आवेदक ने स्पश्टीकरण समर्पित करते हुए यह उल्लेख किया है कि निरीक्षण तिथि को चलान जमा करने बैंक गए थे तथा शेश आरोप निराधार है। इन्हें उस दिन बैंक में हड़ताल होने की जानकारी नहीं थी। अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा ज्ञापांक— 461/A दिनांक—18.02.2020 द्वारा द्वितीय कारण—पृच्छा की मॉग की गई। जिसमें आवेदक द्वारा उपरोक्त बातों को दोहरायी गई है तथा स्थानीय नेताओं द्वारा नाजायज लाभ की मॉग किये जाने की बात भी बताई गई। अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा बिना कोई अभिलेख खोले दिनांक— 05.03.2020 को इनकी अनुज्ञप्ति को रदद कर दी गई। उक्त के विरूद्ध समाहर्त्ता, अररिया के समक्ष अपील दायर किया गया जिसमें पक्षकारों की सुनवाई करते हुए अपील अस्वीकृत कर दिया गया। इनका आगे कथन है कि निम्न न्यायालय आदेश तथ्यों से परे एवं अवैध है। अनुमंडल पदाधिकारी, फारबिसगंज द्वारा किसी व्यक्ति से प्राप्त मोबाईल सूचना के आधार पर निरीक्षण किया गया, जबकि लाभार्थियों क्रमशः	

Web Copy, Not Official.

	लगातार 02.5.2024	द्वारा कोई लिखित शिकायत नही की गई थी। आवेदक के विरूद्ध खाद्यान्नों का अधिक मूल्य लेना एवं केश–मेमो नही देने का आरोप लाभार्थियों द्वारा नहीं लगाया गया है। इनके द्वारा समर्पित कारण–पृच्छा पर बिना विचार किये आदेश पारित किया गया है। आवेदक द्वारा लाभार्थियों के बीच खाद्यान्नों का वितरण नियमित रूप से किया जाता रहा था। अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा इनके किसी पंजी को जब्त नहीं किया गया है, निम्न न्यायालय द्वारा अनुमंडल पदाधिकारी से किसी प्रकार की निरीक्षण प्रतिवेदन की मॉग नहीं की गई है। निम्न न्यायालय आदेश न्यायोचित नहीं है। इस प्रकार इनकी ओर से पुनरीक्षण वाद स्वीकृत करने की प्रार्थना की गई है। दूसरी तरफ अनुमंडल पदाधिकारी, फारबिसगंज ने पत्रांक– 483, दिनांक– 28.10.2023 द्वारा मंतव्य समर्पित करते हुए स्पश्ट किया है कि आवेदक की दुकान का निरीक्षण तात्कालीन अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा करते हुए उनसे उपरोक्त वर्णित अनियमितताओं के आलोक में कारण–पृच्छा की मॉग की गई। जिसमें लाभूकों द्वारा निरीक्षी पदाधिकारी को बताया गया कि खाद्यान्न/किरासन तेल का मूल्य निर्धारित राशि से ज्यादा लिया जाता है। आवेदक ने कारण–पृच्छा में यह उल्लेख किया है कि लाभूक खाद्यान्न वगैरह लेकर चले जाते है तथा केश–मेमो देने पर उनके द्वारा कहा जाता है कि केश–मेमो लेकर क्या करेंगे। आवेदक का यह भी कहना है कि गॉव के कुछ नेता द्वारा इनसे नाजायज रकम एवं खाद्यान्न की मॉग करते है, जिस वजह से इन्हें फंसाया गया है। विक्रेता द्वारा समर्पित स्पश्टीकरण भ्रामक के साथ तथ्यपरक एवं संतोशप्रद नहीं पाया गया। फलतः इनकी अनुज्ञप्ति रद्द कर दी गई। उक्त आदेश के विरूद्ध आवेदक द्वारा समाहर्त्ता, अररिया के समक्ष दायर अपील उभय पक्षों के विद्वान अधिवक्ता को सुनने एवं सम्यक विचारोपरांत अनुमंडल पदाधिकारी, फारबिसगंज के आदेश को विधि सम्मत पाते हुए अपील अस्वीकृत कर दिया गया। आवेदक का दावा सर्वथा अनुचित है। उभय पक्षों को सुनने एवं निम्न न्यायालय आदेश तथा अभिलेख में संलग्न सुसंगत सभी कागजातों/दस्तावेजों के अवलोकन एवं समीक्षोपरांत यह स्पश्ट है कि आवेदक के जन वितरण प्रणाली दुकान का निरीक्षण अनुमंडल पदाधिकारी, फारबिसगंज द्वारा दिनांक–01.02.2020 को को गई। जिसमें उपस्थित ग्रामिणों के बयान एवं दुकान के निरीक्षण में मूलतः चार अनियमितताएँ यथा– (1) उपस्थित लाभूको ने बताया कि आवेदक द्वारा खाद्यान्न/किरासन तेल का मूल्य निर्धारित राशि से अधिक लिया जाता है, (2) केशमेमो की द्वितीयक प्रति लाभूको को नही दी जाती है, (3) निरीक्षण के समय दुकान बंद पाई गई एवं (4) आवेदक से संपर्क करने पर बैंक में होने का बहाना बताया गया। उक्त के आलोक में आवेदक से विधिवत कारण–पृच्छा की मॉग की गई। इनके द्वारा समर्पित क्रमशः	

Web copy Not Official.

	लगातार 02.5.2024	स्पष्टीकरण साक्ष्य विहीन एवं असंतोशजनक पाते हुए अनुमंडल पदाधिकारी, फारबिसगंज ने आवेदक के अनुज्ञप्ति सं0– 67F/2016 को रद्द करने का आदेश पारित किया। उक्त आदेश के विरूद्ध निम्न न्यायालय में दायर अपील भी इस विश्लेशण के साथ खारिज कर दिया कि अनुमंडल पदाधिकारी ने विधिवत प्रक्रियाओं का पालन करते हुए आवेदक को अपना पक्ष रखने का पर्याप्त अवसर दिया है। अनुज्ञप्तिधारी पर लगाए गए आरोप गंभीर एवं प्रमाणित पाते हुए अपील आवेदन अस्वीकृत किया गया है। आवेदक द्वारा इस न्यायालय में भी निम्न न्यायालय में उठायी गई तथ्यों की पुनरावृत्ति की गई है। आवेदक द्वारा अपने कथन के समर्थन में किसी प्रकार का कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है, जिससे निम्न न्यायालय आदेश खंडित हो सके। अतः उपरोक्त के आलोक में निम्न न्यायालय आदेश को विधि–सम्मत एवं न्यायोचित पाते हुए इसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता प्रतीत नही होती है। पुनरीक्षण आवेदन अस्वीकृत। इसी के साथ वाद की कार्रवाई समाप्त की जाती है। आदेश की प्रति के साथ निम्न न्यायालय मूल अभिलेख वापस भेजें। लेखापित एवं सशोधित आयुक्त, पूर्णिया प्रमंडल, पूर्णियॉ। आयुक्त, पूर्णिया प्रमंडल, पूर्णिया।	

Web Copy. Not Official.